



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49545

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5421 वर्ष 2026

कृष्ण कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अनिरुद्ध प्रताप सिंह, संदीप कुमार राय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सीएससी, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है:-

1. प्रतिषेध की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, ताकि कलेक्टर, भदोही (प्रत्यर्थी संख्या 2) द्वारा वाद संख्या 1457/2025 (कंप्यूटर वाद संख्या डी202516670001457) - कृष्ण कुमार सिंह बनाम राज्य - में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत पारित दिनांक 31.12.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सके; और साथ ही तहसीलदार (न्यायिक), ज्ञानपुर, भदोही (प्रत्यर्थी संख्या 3) द्वारा मामले संख्या आरएसटी/5038/2022 (कंप्यूटर वाद संख्या टी202216670405038) - रिपोर्ट लेखपाल बनाम कृष्ण कुमार - में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत पारित दिनांक 08.09.2025 के आक्षेपित आदेश को भी रद्द किया जा सके। राजस्व संहिता (रिट याचिका के क्रमशः अनुबंध संख्या 1 और 2)।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/कलेक्टर, भदोही द्वारा दिनांक 26.10.2023 के अपने आदेश के माध्यम से मामले को प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार (न्यायिक), ज्ञानपुर, भदोही के पास वापस भेज दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि उक्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 08.09.2025 के अपने आदेश के माध्यम से एक नया निर्णय लिया गया है, जिसके द्वारा बेदखली और हर्जाने का वह आदेश, जो पहले दिनांक 23.03.2023 को पारित किया गया था, यथावत बना रहा। उक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की उप-धारा 5 के तहत प्रावधानित वैधानिक अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष दायर की, जिसे दिनांक 31.12.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः, यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश बिना किसी सीमांकन के और इस न्यायालय द्वारा 'ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2023 (1) एडीजे 154, मामले में निर्धारित कानून का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने मामले में निर्देश प्राप्त करने हेतु समय का अनुरोध किया है, और उन्हें दिनांक 24.03.2026 तक का समय प्रदान किया जाता है।

5. इस मामले को दिनांक 24.03.2026 को शीर्ष दस मामलों की सूची में रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले पर अवकाश के बाद सुनवाई की जाएगी।

11 मार्च 2026

सकलैन

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)